रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 दिसम्बर, 1986/15 अग्रहायण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जून, 1986

संख्या एल० एल० आर० 15/84.—दि हिमाचल प्रदेश एण्टरटेनमैण्ट ड्यूटी ऐक्ट, 1968 का संलग्न हिन्दी में भाषान्तर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक

2641-राजपत्र/86-6-12-86—1,199. मूल्य : 20 पैसे।

उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968

(1968 का अधिनियम संख्यांक 12)

(31 दिसम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(3 जुलाई, 1968)

सार्वजनिक मनोरंजनों में प्रवेश के बारे में मनोरंजन शुल्क उद्गृहीत करने के लिए उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अठाहरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मनोरंजन में प्रवेश" के अन्तर्गत किसी ऐसे स्थान में प्रवेश है, जिसमें मनोरंजन चल रहा है या चलाया जाने वाला है ;

(कक) "वीडियो प्रदर्शन" से वीडियो कैसेट रिकार्डर द्वारा प्रदर्शन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत दूरदर्शन या दूरदर्शन से संलग्न उपकरण या दूरदशन पर्दे पर चलचित्र अंतरित करने वाली मशीन या ऐसे किसी अन्य उपकरण के माध्यम से, जो सिनेमा प्रोजेक्टर से भिन्न किसी अन्य साधन द्वारा पर्दे पर चलचित्र प्रदर्शित करता है, चलचित्र का प्रदर्शन भी है ;

(ख) "आयुक्त" से तत्समय उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(खख) "सम्मानिक टिकट" से सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए निःशुल्क या घटाई गई दर पर टिकट या "पास" अभिप्रेत है ;

(ग) "मनोरंजन कर अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन उस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "मनोरंजन" के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रदर्शन, अभिनय, आमोद, खेलकूद, क्रीड़ा या दौड़ है, जिसमें व्यक्तियों को मामूली तौर पर संदाय करने पर प्रवेश करने की अनुज्ञा दी जाती है ;

(ङ) "अधिसूचना" से हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में समुचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रत है ;

(च) "प्रवेश के लिए संदाय" के अन्तर्गत है —

(i) मनोरंजन के किसी स्थान के किसी भाग में प्रवेश प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया कोई संदाय और एसी दशा में, जिस म ऐसे व्यक्ति को तत्पश्चात् उस के किसी ऐसे अन्य भाग में प्रवेश दिया जाता है

जिसमें प्रवेश के लिए अतिरिक्त संदाय अपेक्षित है, वहां ऐसा अतिरिक्त संदाय, चाहे वह वस्तुत: किया गया है या नहीं;

(ii) स्वत्वधारी की जानकारी से या उसकी जानकारी के बिना नि:शुल्क, चोरी-चोरी, अप्राधिकृत या रियायती प्रवेश की दशाओं में ऐसा संदाय जो उस दशा में किया जाएगा जिस में सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के लिए मामूली तौर पर प्रभार्य सम्पूर्ण प्रभारों का संदाय करने पर प्रवेश दिया जाता ;

(iii) किसी मनोरंजन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए कोई ऐसा संदाय, जिसे मनोरंजन में उपस्थित होने या उपस्थित रहने की शर्त के रूप में किसी व्यक्ति से मनोरंजन में प्रवेश के लिए संदाय के, यदि कोई हो, अतिरिक्त संदाय करने की अपेक्षा की जाती है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) किसी मनोरंजन के सम्बन्ध में स्वत्वधारी के अन्तर्गत है स्वामी, भागीदार या उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति;

(झ) * * * *

(ञ) "टिकट" से मनोरंजन में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए "पास या टोकन" अभिप्रेत है ।

मनोरंजनों में प्रवेश के लिए संदाय पर शुल्क ।

3. (1) किसी मनोरंजन में प्रवेश प्राप्त कोई व्यक्ति, प्रवेश के लिए संदाय के एक सौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मनोरंजन शुल्क का संदाय करने का दायी होगा और उक्त शुल्क स्वत्वधारी द्वारा विहित रीति में संगृहीत किया जाएगा और सरकार को दिया जाएगा ।

(2) उप-धारा (1) और अधिनियम में टिकट से प्रवेश के सम्बन्ध में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी सिनेमा-घर में चलचित्र प्रदर्शन के मनोरंजन से भिन्न किसी भी वर्ग के मनोरंजन पर स्वामी द्वारा संदेय पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक का मनोरंजन कर विहित रीति में एकमुश्त अधिरोपित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण:—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, मनोरंजन के लिए "वीडियो" प्रदर्शन सिनेमाघर में प्रदर्शन नहीं माना जाएगा ।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मनोरंजन शुल्क की दर विनिर्दिष्ट करने वाले प्रस्थापित आदेश का प्रारूप ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाएगा, जिनका उस से प्रभावित होना संभाव्य है और यह तभी प्रभावी होगा जब सरकार ने ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्त सभी आक्षेपों पर विचार कर लिया है और उसे उपान्तरण सहित या उसके बिना पुन: अधिसूचित कर दिया है :

परन्तु यदि सरकार का यह विचार है कि ऐसा आदेश तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, तो अंतिम अधिसूचना, पूर्व प्रकाशन के बिना निकाली जा सकेगी ।

(4) उस समय तक जब तक कि उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट शुल्क अन्तिम रूप से अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है, मनोरंजन शुल्क इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व इस निमित्त प्रवृत्त दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा ।

(5) मनोरंजन शुल्क की दर विनिर्दिष्ट करने वाली अंतिम अधिसूचना उसके प्रकाशन से ठीक बाद वाले सत्र में विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

(3-क) स्वत्वधारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक सम्मानिक टिकट पर इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विहित उचित दर पर मनोरंजन शुल्क उसी प्रकार उद्गृहीत और सरकार को संदत्त किया जाएगा, मानों कि ऐसी सीटों या स्थान के वर्गीकरण के अनुसार, जिसका ऐसे टिकट का धारक अधिभोग या उपयोग करने का हकदार हो, मनोरंजन में प्रवेश के लिए पूरा संदाय कर दिया गया है और ऐसे टिकट-धारक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संदाय करके प्रवेश प्राप्त किया है ।

(3-ख) * * * *

शुल्क का परिकलन ।

4. इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, शुल्क की रकम का परिकलन पांच पैसे के निकटतम गुणक में किया जाएगा । दो पैसे या उससे कम को छोड़ दिया जाएगा और दो पैसे से अधिक को पांच पैसा माना जाएगा ।

समेकित राशि में किया गया संदाय ।

5. जहां मनोरंजन में प्रवेश के लिए कोई संदाय किसी सोसाइटी को चन्दा या अभिदाय के रूप में या मौसमी टिकट के लिए या किसी विनिर्दिष्ट अवधि में मनोरंजन या मनोरंजनों की शृंखला में प्रवेश के अधिकार के लिए या अतिरिक्त संदाय किए बिना प्रवेश के अधिकार सहित किसी विशेषाधिकार, अधिकार या सुविधा के लिए या कम प्रभार के लिए किसी समेकित राशि के रूप में किया जाता है, वहां मनोरंजन शुल्क समेकित राशि पर संदत्त किया जाएगा, किन्तु जहां मनोरंजन-कर अधिकारी की यह राय है कि किसी समेकित राशि के संदाय या टिकट के लिए किसी संदाय के अन्तर्गत मनोरंजन में प्रवेश के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकारों, अधिकारों या सुविधाओं के लिए संदाय भी है या उसका आशय ऐसी अवधि के दौरान जब शुल्क प्रवर्तनशील नहीं रहा है, किसी मनोरंजन में प्रवेश प्राप्त करना है, वहां शुल्क ऐसी रकम पर प्रभारित किया जाएगा, जो मनोरंजन-कर अधिकारी को मनोरंजन में प्रवेश के ऐसे अधिकार की, जिसके लिए शुल्क संदेय है द्योतक रकम प्रतीत हो ।

स्वत्वधारी द्वारा प्रतिभूति का जमा किया जाना ।

6. विहित प्राधिकारी किसी मनोरंजन के स्वत्वधारी से इस अधिनियम के अधीन मनोरंजन शुल्क के संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में दस हजार रुपये से अनधिक रकम किसी सरकारी खजाने में जमा करने की विहित रीति में, अपेक्षा कर सकेगा और वह रकम उसी प्रकार जमा की जाएगी ।

मनोरंजन-कर अधिकारी और अन्य कराधान प्राधिकारी ।

7. इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार एक व्यक्ति को मनोरंजन कर अधिकारी के रूप में और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह आयुक्त की सहायतार्थ ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

प्रवेश के लिए संदाय-दर की सारणियों का सहज-दृश्य स्थानों पर लगाया जाना ।

8. मनोरंजन का स्वत्वधारी, प्रवेश के लिए संदायों की दरें और ऐसी दरों पर संदेय मनोरंजन शुल्क की रकम मनोरंजन के स्थान पर विहित रीति में प्रदर्शित करेगा ।

शुल्क का संदाय न करने पर शास्ति ।

9. (1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी मनोरंजन में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक उसके पास इस अधिनियम के अधीन टिकट या सम्मानिक टिकट या "पास" या नियोजक द्वारा दिया गया "बैज" न हो, और मनोरंजन शुल्क संदत्त करने का दायी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क विहित रीति में संदत्त किए बिना इस प्रकार प्रवेश नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के आशय से अनुज्ञा के बिना या चोरी-चोरी किसी मनोरंजन में प्रवेश करेगा, किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर, जुर्माने से जो 200 रुपये (दो सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और इस के अतिरिक्त ऐसा शुल्क संदत्त करने का दायी होगा ।

संदाय के बिना व्यक्तियों का प्रवेश ।

10. इस अधिनियम की कोई भी बात, स्वत्वधारी के ऐसे वास्तविक कर्मचारियों को, जो मनोरंजन से सम्बन्धित काम पर हैं या स्वत्वधारी को, जब वह ऐसे काम पर हैं, लागू नहीं होगी ।

उदग्रहण की रीति ।

11. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां प्रवेश के लिए संदाय पर मनोरंजन शुल्क लगता हो, वहां किसी व्यक्ति को संदाय पर प्रवेश तब तक नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसा टिकट न हो जो सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजनार्थ जारी किए गए, छपे हुए, समुद्भूत, उत्कीर्ण या आसंजक स्टाम्प से स्टाम्पित हो (जो पहले प्रयोग नहीं किए गए हैं) और जो यह दर्शित करता हो कि उचित मनोरंजन शुल्क का संदाय कर दिया गया है ।

(2) सरकार ऐसे किसी मनोरंजन के, जिसके बारे में मनोरंजन शुल्क संदेय है, स्वत्वधारी के आवेदन पर, स्वत्वधारी को ऐसी शर्तों पर जो सरकार द्वारा विहित की जाएं, मनोरंजन शुल्क का—

(क) ऐसे किसी प्रतिशत के समेकित संदाय द्वारा जो सम्बन्धित अवधि में प्रवृत्त दर पर मनोरंजन में प्रवेश के लिए सकल संदाय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, या

(ख) मनोरंजन में प्रवेश के लिए संदाय की विवरणियों के अनुसार, या

(ग) प्रविष्ट व्यक्तियों की संख्या स्वतः दर्ज करने वाले यांत्रिक साधन द्वारा अभिलिखित परिणामों के अनुसार, संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त मनोरंजन।

12. (1) किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए संदाय पर कोई भी मनोरंजन शुल्क वहां उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, जहां इस निमित्त विहित रीति में आवेदन किए जाने पर आयुक्त का समाधान हो जाता है कि मनोरंजन के सम्पूर्ण शुद्ध आगम का उपयोग ऐसे लोकोपकारी, पूर्त, शैक्षिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा इस रूप में अनुमोदित किए गए हैं ।

(2) इस अधिनियम की कोई बात किसी शैक्षिक संस्था के कर्मचारीवृन्द या छात्रों या दोनों द्वारा आयोजित किसी मनोरंजन को तब लागू नहीं होगी जब आगम शैक्षिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए आशयित हो ।

(3) सरकार शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव की अभिवृद्धि या कला और शिल्प, क्रीड़ा या अन्य लोक हित के प्रोत्साहन के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी मनोरंजन या मनोरंजन वर्ग को इस अधिनियम के अधीन शुल्क के संदाय के दायित्व से छूट दे सकेगी ।

अपील।

13. (1) धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन विहित अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे उच्च अधिकारी को, जो विहित किया जाए, विहित रीति में अपील कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अपील ऐसे उच्च अधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि सम्बद्ध व्यक्ति से देय शुल्क की रकम का और उस पर अधिरोपित शास्ति का, यदि कोई हो, संदाय कर दिया गया है :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे उच्च अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सम्बद्ध व्यक्ति देय शुल्क या अधिरोपित शास्ति का, यदि कोई हो, या दोनों का, संदाय करने में असमर्थ है, तो वह, अभिलिखित कारणों से शुल्क या शास्ति या दोनों के संदाय के बिना ही अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उच्च अधिकारी ऐसी अपील में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

पुनरीक्षण की शक्ति।

14. आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, स्वप्रेरणा से या किए गए आवेदन पर अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश के अभिलेख, ऐसी कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा और उनके बारे में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु आयुक्त या अन्य अधिकारी ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने से पूर्व आवेदक को इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क की रकम और उस पर अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, पूर्णतः या भागतः जमा करने का निदेश दे सकेगा ।

लेखाओं और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण।

15 (1) किसी मनोरंजन का स्वत्वधारी, सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, उत्पादशुल्क और कराधान विभाग के किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, और जो विहित किया जाए, टिकटों के, जिनके अन्तर्गत सम्मानिक टिकट भी हैं, विक्रय और देय मनोरंजन शुल्क की वसूली से सुसंगत किन्हीं ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों ।

(2) यदि उप-धारा (1) में वर्णित सरकार के किसी अधिकारी के पास यह सन्देह करने का कारण है कि किसी मनोरंजन का स्वत्वधारी, इस अधिनियम के अधीन उससे देय किसी मनोरंजन शुल्क के संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह अभिलिखित कारणों से, स्वत्वधारी के ऐसे लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों को जो आवश्यक हों, अभिगृहीत कर सकेगा और उनके लिए रसीद देगा और उन्हें तभी तक रखेगा जब तक उनकी परीक्षा के लिए रखना आवश्यक है ।

मनोरंजन स्थलों में प्रवेश और निरीक्षण ।

16. (1) कोई अधिकारी, जो विहित पंक्ति से नीचे का न हो, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है, मनोरंजन के किसी स्थान में किसी भी युक्तियुक्त समय पर, जब मनोरंजन चल रहा है, प्रवेश, उसका निरीक्षण और उसकी तलाशी कर सकेगा और ऐसा करते समय ऐसे अधिकारी के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मनोरंजन में प्रवेश प्राप्त कोई व्यक्ति है ।

(2) प्रत्येक मनोरंजन का स्वत्वधारी पूर्वोक्त अधिकारी को उप-धारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में हर युक्तियुक्त सहायता देगा ।

शास्ति

17. (1) जहां किसी मनोरंजन का स्वत्वधारी धारा 18 की उप-धारा (1) में विहित कोई कृत्य करता है, वहां विहित अधिकारी ऐसे स्वत्वधारी को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् देय शुल्क, यदि कोई हो, के अतिरिक्त दो हजार रुपये से अनधिक राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का निदेश दे सकेगा :

परन्तु निःशुल्क, चोरी-चोरी, अप्राधिकृत या रियायती प्रवेश की दशाओं में, चाहे वे स्वत्वधारी की जानकारी में हो या उसके बिना हो, विहित अधिकारी, स्वत्वधारी को शास्ति के रूप में ऐसी राशि संदत्त करने का निदेश देगा जो ऐसे प्रवेश के परिणामस्वरूप देय पाए गए शुल्क की रकम के पचीस गुना के बराबर हो ।

(2) मनोरंजन के स्वत्वधारी पर उन्हीं तथ्यों के बारे में, जिनके लिए उस पर उप-धारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित की गई है, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

अपराध और शास्तियां ।

18. (1) यदि किसी मनोरंजन का स्वत्वधारी—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय किसी शुल्क के संदाय का कपटपूर्वक अपवंचन करता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण करने वाले किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाता है, या

(ग) इस अधिनियम के अथवा तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में कार्य करता है या उसका अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह दोष सिद्धि पर, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने का जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा और जब अपराध चालू रहने वाला अपराध है, तो अपराध के चालू रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

(2) कोई न्यायालय इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, न कि अन्यथा और प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट से अवर और कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

अपराध शमन करने की शक्ति।

19. (1) विहित अधिकारी किसी भी समय ऐसे व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है ऐसे अपराध के शमन-स्वरूप, दो सौ पचास रुपये से अनधिक या इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क की रकम से दुगनी, इन में से जो भी अधिक हो, धन-राशि प्राप्त कर सकेगा।

(2) ऐसी धन-राशि के संदाय पर, जो उप-धारा (1) के अधीन अवधारित की जाए, विहित अधिकारी, जहां आवश्यक हो, न्यायालय को यह सूचित करेगा कि अपराध का शमन किया गया है और तदुपरान्त अपराधी के विरुद्ध उसी अपराध के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी और उक्त न्यायालय अपराधी को यथा-स्थिति उन्मोचित या दोषमुक्त करेगा।

वसूलियां।

20. इस अधिनियम के अधीन देय कोई राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन।

21. (1) सरकार इस अधिनियम की धारा 3, धारा 23, और इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे निबन्धनों, परिसीमाओं या शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन होगा जो सरकार द्वारा अधिकथित की जाएं, और उसके नियन्त्रण और पुनरीक्षण के अधीन भी होगा।

कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन।

22. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, सरकार के या इसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

23. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए साधारणत: नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, वह निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) स्टाम्पों या स्टाम्पित टिकटों का प्रदाय और प्रयोग, यदि वे मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में अपेक्षित है या स्टाम्पित किए जाने के लिए भेजे गए टिकटों पर स्टाम्प लगाना और उपयोग के पश्चात् स्टाम्पों को विरूपित करना ;

(ख) एक से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश कराने वाले टिकटों का उपयोग और उन पर शुल्क का परिकलन, मनोरंजन के किसी स्थान के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरण पर शुल्क का संदाय;

(ग) यांत्रिक साधनों के उपयोग का नियन्त्रण (जिसके अंतर्गत किसी भिन्न राशि के संदायों के लिए एक ही यांत्रिक साधन के उपयोग का निवारण भी है) और यांत्रिक साधनों द्वारा प्रवेश के उचित अभिलेख सुनिश्चित करना ;

(घ) ऐसे मनोरंजनों के, जिन के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मनोरंजन शुल्क संदेय है, स्वत्वधारियों द्वारा, प्रवेश की जांच-पड़ताल, लेखा बनाए रखना और विवरणियां प्रस्तुत करना;

(ङ) कटी-फटी और खराब स्टाम्पों का नवीकरण और प्रतिदाय के लिए आवेदनों पर अनुसरणीय प्रक्रिया ;

(च) इस अधिनियम के अधीन उपयोग की गई सभी स्टाम्पों का लेखा बनाए रखना ;

(छ) किसी मनोरंजन में प्रवेश को प्राधिकृत करने वाले टिकट, "पास" या टोकन का प्ररूप विहित करना ;

(ज) मनोरंजन शुल्क के संदाय के छूट के या ऐसे शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन देना और उसका निपटारा करना ;

(झ) बर्दीधारी सैनिक कार्मिकों पर मनोरंजन शुल्क से छूट देना ;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन मनोरंजन शुल्क की वसूली करना और उस निमित्त सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ;

(ट) ऐसे प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करना, जो धारा 19 के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए सक्षम होंगे ;

(ठ) धारा 13 के अधीन अपीलों और धारा 14 के अधीन आवेदनों की सुनवाई और निपटाए जाने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना और तद्नुषंगी सभी अन्य विषय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उनके प्रकाशन के ठीक पश्चात्-वर्ती विधान सभा के सत्र में उसके समक्ष रखे जाएंगे और वह उन्हें पुष्ट, संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगी ।

निरसन और व्यावृति ।

24. दि पंजाब एण्टरटेनमैण्ट्स ड्यूटी ऐक्ट, 1936 जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 द्वारा लागू किया गया और पंजाब एण्टरटेनमैण्ट्स ड्यूटी ऐक्ट, 1955, जैसा कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित किए गए क्षेत्रों में लागू है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । 1936 का 3 1955 का 16

ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए की गई कोई बात या कारवाई, जिसके अन्तगत दिया गया कोई आदेश या जारी की गई कोई अधिसूचना या बनाया गया कोई नियम भी है, जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए की गई, जारी की गई या बनाया गया समझा जाएगा ।

कुलदीव चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

कार्यालय जिलाधीश, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

बिलासपुर, 3 दिसम्बर, 1986

संख्या 8-एम-सी-इलैक-3/86.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 23 (1) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1970 के नियम 76 का अनुसरण करते हुए, मैं, सरोज कुमार दास जिलाधीश, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, नगरपालिका श्री नैना देवी जी के लिए उपरोक्त नियमों के नियम 45 व 75 के अन्तर्गत निर्वाचित घोषित किए गए सदस्यों के नाम जनसाधारण की सूचना हेतु अधिसूचित करता हूं :—

क्रमांक	वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) का नम्बर व नाम	निर्वाचित घोषित किये गये सदस्य का नाम व पता
1	2	3
1.	1—देवी वार्ड (अ0 जा0)	श्री सुख राम सुपुत्र श्री बालक राम, ग्राम व डाकखाना श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
2.	2—तारा वार्ड	श्री कृष्ण गोपाल सुपुत्र श्री मदन लाल, ग्राम व डाकखाना श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
3.	3—कालिका वार्ड	श्री ओंमप्रकाश सुपुत्र श्री चरंजी लाल, ग्राम व डाकखाना श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रवेश ।
4.	4—दुर्गा वार्ड	श्री सुरज बिहारी लाल सुपुत्र श्री कृष्ण दत्त, ग्राम व डाकखाना श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
5.	5—शीतला वार्ड	श्री रत्न लाल सुपुत्र श्री जीत राम, ग्राम व डाकखाना श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

सरोज कुमार दास,
जिलाधीश,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

स्थान: बिलासपुर
दिनांक: 3-12-86.